आबादी सर्वेक्षण से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		
ड्रोन सर्वेक्षण के पूर्व के चरण में पूछे जाने वाले प्रश्न		
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1.	कलेक्टर न्यायालय में RCMS में प्रकरण दर्ज करते समय आबादी का खसरा नंबर नहीं मिल रहा है या चयन करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या करना चाहिए?	खसरे की जानकारी भू-अभिलेख के माध्यम से प्राप्त की जाती है| कभी-कभी सर्वर पर लोड अधिक होने की वजह से खसरे की जानकरी प्राप्त नहीं हो पाती है। इस स्थिती में कुछ समय वेट करें और पुन: प्रयास करें| यदि कोई खसरा नहीं दिख रहा है तो भू-अभिलेख पोर्टल पर उसे अध्यतन करें।
2.	निर्देश हैं कि एक ग्राम का एक प्रकरण ही दर्ज किया जावे। परन्तु त्रुटिवश एक ग्राम के एक से अधिक आबादी सर्वे के प्रकरण दर्ज हो गये हों तो क्या करें?	इस स्थिति में आर.सी.एम.एस पोर्टल पर उपलब्ध आप्शन मर्ज केस के माध्यम से इन्हें मर्ज किया जा सकता है| मर्ज केस आप्शन संबंधित न्यायालय के रीडर लॉगइन में उपलब्ध है|
3.	एक ग्राम के अगर एक से अधिक आवेदन दर्ज हो गये हैं परन्तु पीओ द्वारा स्वीकृत न होने से प्रकरण क्रमांक जनेरेट नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में क्या करें?	रीडर लॉग इन पर उपलब्ध आप्शन मर्ज केस के माध्यम से प्रकरण मर्ज करें और पीठासीन अधिकरी द्वारा प्रकरण स्वीकृत कर आगे प्रोसेस किया जा सकता है|
4.	यदि प्रकरण दर्ज हो गया है परन्तु आबादी भूमि के कुछ खसरे आवेदन में छूट गए हैं तो क्या करे?	इस स्थिति में एक नया आवेदन दर्ज करा जिसमें सभी खसरों का चयन हो और उस आवेदन को पुराने आवेदन से मर्ज करें| इस स्थिति में पुराना आवेदन का आर्डर हो जाएगा और नया आवेदन जिसमें सभी खसरे सम्मिलित हैं वह प्रक्रिया में रहेगा| इस आवेदन को आगे प्रक्रिया में ले|
5.	प्रकरण जिस न्यायालय में दर्ज हुआ है उसका अंतिम निराकरण केवल उसी न्यायालय से हो ऐसी व्यवस्था क्या RCMS में है।	इस हेतु अन्य सभी एक्टिविटी आर.सी.एम.एस में की जा चुकी है|
6.	जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा आबादी सर्वेक्षण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, यदि यह प्रकरण प्रतिवेदन हेतु सहायक सर्वेक्षण	आर.सी.एम.एस से प्रकरण ऑनलाइन भेजना आवश्यक है| ऑनलाइन आवेदन भेजने की प्रक्रिया : कलेक्टर रीडर आवेदन दर्ज करें। कलेक्टर पीठासीन अधिकारी आवेदन स्वीकृत करें।

	अधिकारी को ऑफलाइन माध्ययम से भेज दिया जावे परन्तु ऑनलाइन न भेजा जावे तो क्या होगा	कलेक्टर रीडर प्रकरण प्रोसेस करें| प्रोसेस करते ही प्रकरण सम्बंधित तहसील न्यायालय में आगे के कार्यवाही के लिए हस्तांतरित हो जाएगा|
7.	यदि किसी प्रकरण को वरिष्ट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया है तो ऐसे प्रकरणों की क्या स्थिति है यह मूल न्यायालय देख सकता है क्या, और कैसे?	मूल न्यायलय में प्रक्रियाधीन प्रकरण में जाकर वर्तमान स्थिति देखी जा सकती है|
8.	दल गठन से क्या आशय है? यह किस उपयोगकर्ता की लॉगिन से कब और कैसे किया जा सकता है|	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के स्तर पर दल गठन किया जाता है, जोकि सर्वे के क्रियान्वयन के लिये गठित दल होता हैं| इस दल में पटवारी, सचिव, कोटवार एवं अन्य सदस्यों को जोड़ा जा सकता हैं|
9.	यदि दल गठन की एक्टिविटी न लगायी जावे तो क्या होगा।	दल गठन की एक्टिविटी लगाने के बाद ही सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा ड्रोन सर्वे का कार्य किया जायेगा, अतः यह एक महत्तवपूर्ण प्रक्रिया है|
10.	यदि दल गठन की कार्यवाही करने के बाद कितने दिनों की पेशी की तारीख लगाना होगी और उसके बाद कौन सी कार्यवाही के लिए प्रकरण नियत करना होगा।	दल गठन करते ही प्रकरण आगे की कार्यवाही के लिए स्वत: ही सारा पोर्टल पर हस्तांतरित हो जाएगा| इस स्थिति में आर.सी.एम.एस में कोई भी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है| जब सारा पोर्टल से आर.ओ.आर प्राप्त होगा उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी|
11.	पटवारी/ दल द्वारा सारा से प्रारूप अधिकार अभिलेख पुश किये जाने पर यह दस्तावेज RCMS में किस उपयोगकर्ता की लॉगइन पर कहां पर दिखाई देगे।	पटवारी/ दल द्वारा सारा से प्रारूप अधिकार अभिलेख पुश किये जाने पर यह दस्तावेज RCMS में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के लॉगइन में "सारा से प्राप्त आवेदन" ऑप्शन में प्राप्त होगा|
12.	परिशिष्ट -2 क्या है एवं यह केसे प्राप्त किया जा सकेगा	परिशिष्ट -2 सॅटॅलाइट इमेज पर अह्द्यारोपित 1:4000 स्केल का खसरा नक्शा है जिसका उपयोग चुना मार्किंग द्वारा बसाहट से आबादी भूमि को प्रथक चिन्हांकित करने में सन्दर्भ के रूप में किया जा सकता है यह सारा एप्प में स्वमित्व टैब में डाउनलोड आप्शन में प्रत्येक ग्राम हेतु प्राप्त होगा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा

13.	किन सम्पतियों को चुना से चिन्हांकित करना है	• रास्तो, निजी एवं सार्वजानिक संपत्ति को चिन्हांकित करने के लिए • यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड हैं जिस पर संपत्ति धारक का अधिपत्य हैं • सार्वजानिक संपत्ति एवं उनके सलंग्नित खुले हुये भूखंड को चिन्हांकित करने हेतु • उदाहरनार्थ - स्कूल के साथ लगा हुआ खेल का मैदान
14.	प्रयेक संपत्तियों हेतु रास्तों का चिन्हांकन सकरे रास्तों पर किस प्रकार किया जाएगा।	ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण से प्राप्त इमेज में अति सूक्ष्म जानकारी भी कवर हो सकती है जेसे की छत पर रखी हुई बाल्टी भी देखी जा सकती है अतः सभी पहुच मार्ग भी जो सम्पतियो पर पहुचने के मार्ग है अंकित किये जा सकते है अतः चुना डाल कर पहुच मार्गों को अंकित करना अनिवार्य है, इस हेतु जहा से रास्ता शुरू हो रहा है एवं 90 डिग्री एंगल से दिखाई दे रहे इसे जगहों पर चुना से रास्ता मार्क किया जाना चाहिए
15.	क्या खाली प्लॉट्स(बिल्ट-अप नहीं) को भी चुना मार्किंग कर निजी भूमि के रूप में दर्शाया जा सकता है	खाली प्लाट यदि बिना निर्मित सम्पति के दर्शाया गया है तो वह शाश्कीय सम्पति के रूप में दर्शाया जाएगा निजी भूमि स्वामी के अधिपत्य हेतु नहीं
16.	आबादी भूमि में न्यूनतम प्लाट साइज़ की सीमा क्या है	आबादी भूमि में कोई भी प्लाट 9 वर्ग मीटर से कम का अंकित नहीं किया जाएगा

प्रारूप नक्शा / संशोधित नक्शा आ जाने के बाद के चरण में पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र.	प्रश्न	उत्तर
17.	समग्र डाटा क्यों डाउनलोड करें उसका क्या उपयोग है।	समग्र डाटा डाउनलोड करने से डाटा ऑफलाईन मोबाईल में उपयोग किया जा सकता है, जिससे यदि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तब भी उक्त ऑफलाईन डाटा के माध्यम से जानकारी को प्राप्त / सुरक्षित किया जा सकता है।
18.	समग्र डाटा डाउनलोड नहीं हो रहा है।	कुछ ग्राम विशेष में यदि समग्र ग्राम का डाटा डाउलोड नहीं होता है, तो सीधे आर ओ आर एण्ट्री का कार्य किया जा सकता है, जिसमें समग्र आईडी अंकित करते ही

		इंटरनेट के माध्यम से जानकारी सीधे एप पर उपलब्ध होगी।
19.	क्या प्लॉट से भू-धारियों के नाम जोड़ने के लिए केवल समग्र आईडी एकत्रित करने से कार्य हो जावेगा या अन्य जानकारियां भी एकत्र करना है।	भू-धारियों के नाम जोड़ने के लिए समग्र आईडी ऐवं आधार id एकत्रित करने से कार्य हो जावेगा, यदि समग्र आईडी नहीं है तो ग्राम सचिव की सहायता से समग्र आईडी हेतु आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं| इसके अतिरिक्त आप ई-मेल आईडी,फोन नंबर एकत्र कर सकते हैं|
20.	पटवारी लॉगइन की डाउनलोड सूची में ग्राम का नाम नहीं दिखाई दे रहा है।	हो सकता हैं कि सम्बंधित ग्राम का केस दर्ज नहीं किया गया है इसलिए उपरोक्त ग्राम डाउनलोड सूची में प्रदर्शित नहीं होगा| कृपया यह सुनिश्चित करें कि RCMS में केस दर्ज हो गया है इसके उपरान्त ग्राम का नाम दिखाई देने लगेगा|
21.	नक्शा नही दिख रहा है?	सर्वप्रथम स्वामित्व डैस्बोर्ड पर यह जांच लें कि सम्बंधित ग्राम का नक्शा अपलोड हुआ है या नही। अगर हाँ है एवं ग्राम नहीं दिख रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं: a) सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा ग्राम का डाटा/ नक्शा (.tpk फाइल) अपलोड नहीं किया गया है, इस स्थिति में जिले के वरिष्ठ अधिकारी (एस.एल.आर) द्वारा SOI को दूरभाष / पत्र द्वारा अवगत करा कर ग्राम का नक्शा अपलोड करवाया जाए| b) ग्राम आबादी का नक्शा ठीक से डाउनलोड नहीं किया गया है: - हाई स्पीड इंटरनेट में जाकर नक़्शे को डाउनलोड होने का समय दें, 100% डाउनलोड होने के बाद मेन्यु ना बदलें, नक्शा स्वतः दिखाई देने लगेगा|
22.	नक्शे मे पीली लाईन(प्लाट सीमा) नही दिख रही है?	इसका अर्थ भी यही है कि ग्राम आबादी का नक्शा ठीक से डाउनलोड नहीं किया गया है, या फिर सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा डाटा को अपलोड नहीं किया गया है| इस स्थिति में जिले के वरिष्ठ अधिकारी (एस.एल.आर) द्वारा SOI को दूरभाष / पत्र द्वारा अवगत करा कर गांव का नक्शा अपलोड करवाया जाए|

23.	ड्रोन सर्वे की इमेज दिख रही है, पीली लाइन भी दिख रही हैं पर प्लॉट के नंबर नहीं दिखाई दे रहें है।	इसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा सर्वे ऑफ़ इंडिया से संपर्क करें। इस स्थिति में संभवतः नक्शा फिर से अपलोड करवाना पड़ सकता है।
24.	नक्शे में विभाजन नहीं हो पा रहा है?	नक़्शे में विभाजन सिर्फ SOI द्वारा ही किया जाएगा। प्ररूप नक़्शे में ही संशोधन चिन्हित करके SOI को भेजा जायेगा एवं SOI के द्वारा ही ये संशोधन किया जाएगा। यह कार्य पटवारी द्वारा नहीं किया जाएगा।
25.	नक्शे की ड्रोन इमेज डाउनलोड/प्रदर्शित नहीं हो रही है?	सर्वप्रथम स्वामित्व डैस्बोर्ड पर यह जांच ले कि सम्बंधित ग्राम का नक्शा अपलोड हुआ है या नही। अगर हाँ तो इसका अर्थ भी यही है कि डाटा ठीक से डाउनलोड नहीं हुआ है या फिर डाउनलोड करते समय इंटरनेट कि लिंक टूट गया हो सकता है, अतः डाटा फिर से डाउनलोड करें।
26.	गावों के कुछ हिस्सों में ड्रोन की इमेज नहीं दिखाई दे रही है।	जो हिस्सा दिखाई नही दे रहा है वहाँ ड्रोन फ्लायिंग हुआ था या नही, अगर हुआ था तो सम्बंधित अधिकारीयों के साथ स्क्रीन शॉट साझा किये जायें, इस स्थिति में संभवतः SOI पुन: जांच कर समस्या का निराकरण अथवा जानकारी उपलब्ध कराएगी।
27.	सारा एप्प पर पटवारी लॉग-इन में ग्राम का नक्शा गलत/ अन्य ग्राम/गलत LGD कोड का प्रदर्शित हो रहा है।	पहले यह सुनिश्चित कर लें की प्रदर्शित LGD कोड सही ग्राम का हे या नहीं एवं क्या इसी LGD कोड के साथ विभाग के अन्य कार्य भी किये जा रहें है परतुं नक्शा किसी और ग्राम का प्रदर्शित हो रहा है तो वरिष्ट अधिकारियों को सूचित कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) में सम्पर्क करें।
28.	यदि प्रारूप नक़्शे में संशोधन की आवशयकता है तो क्या नक्शा संशोधन से पूर्व आर.ओ.आर. एंट्री की जा सकती है	यदि प्रारूप नक़्शे में संशोधन की आवश्यकता है तभी भी संशोधन मार्क कर आर.ओ.आर. एंट्री का कार्य किया जा सकता है यदपि सारा एप्प में नए बनाए प्लाट नम्बर को नक़्शे पर बटांकन कर अंकित किया जाना चाहिए जिससे संशोधित मेप पुनः डिजिटाईज कर बनाने पर आर.ओ.आर. के साथ लिंक कर पाना संभव है
29.	सर्वे ऑफ़ इंडिया से प्राप्त नक़्शे में संशोधन केसे मार्क करे एवं सर्वे ऑफ़ इंडिया को केसे प्रेषित करें	सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया नक्शा 1:500 स्केल पर होता है अत: सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से नक़्शे को माप कर आबादी खसरा सीमा संशोधन, प्लाट सीमा संशोधन, विभाजन/विलय आदि कार्य किये जाने

		चाहिए एवं तहसीलदार (सहायक सर्वेक्षण अधिकारी) के मध्यम से प्रतिवेदन दे कर संशोधन सर्वे ऑफ़ इंडिया को प्रेषित किये जाना चाहिए।
30.	100 % आर.ओ.आर. अंकित करने की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात आगे की कार्यावही करने पर आर.ओ.आर. की संख्या कम प्रदर्शित होती है।	स्वामित्व डैस्बोर्ड पर RoR के स्टेट्स की जांच करें एवं् यह भी सुनिश्चित करे की आपके द्वारा संशोधित किये नक़्शे के साथ आर.ओ.आर. मैप कर लिया गया है यदि फिर भी समस्या बनी हुई है तो भोपाल तकनीकी अनुभाग में सम्पर्क करें।
31.	SAARA app मे प्रदर्शित होने वाले प्लॉट की संख्या एव प्रारूप नक्शा मे प्रदर्शित होने वाले प्लॉट की संख्या मे भिन्नता होना।	सम्बंधित पटवारी सबसे पहले सुनिश्चित करे कि SAARA app नवीनतम अपलोडेड डाटा डाउनलोड किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो भोपाल तकनीकी अनुभाग में सम्पर्क करें एवं यदि नहीं, तो SAARA app पर नवीनतम अपलोडेड डाटा पुन: डाउनलोड करें। इसके अतिरिक्त प्राप्त नक्शा (हार्ड कॉपी) प्रारूप नक्शा या अंतिम नक्शा में यह जांच करलें कि किसी नम्बर कि पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है।
32.	आर.ओ.आर. की प्रविष्टि करने में समस्या आना।	हो रही समस्या के स्पष्ट व्याख्यान के साथ भोपाल तकनीकी अनुभाग में सम्पर्क करें।
33.	कुछ अबादी सर्वे नम्बर का नक्शा प्राप्त नहीं होना।	यदि ड्रोन सर्वे से पूर्व चुना मार्किंग किये गए सर्वेक्षण क्रमांक के नक़्शे सारा अप्प / हार्ड कॉपी नक़्शे प्राप्त नहीं हो रहे है तो वरिष्ट अधिकारियों को सूचित कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) में सम्पर्क करें।
34.	नक्शो पर प्लॉट संख्या प्रदर्शित न होना।	प्लाट नंबर स्केल/ज़ूम आधारित प्रदर्शित होते है सर्व प्रथम एप्प में प्लाट लेवल तक ज़ूम कर देखे यदि प्लाट नंबर नहीं दिख रहे है या हार्ड कॉपी में प्लाट नंबर प्रदर्शित नहीं हो रहे है तो वरिष्ट अधिकारियों को सूचित कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) में सम्पर्क करें।
35.	सारा एप्प में प्राप्त प्लाट में आबादी खसरा नंबर गलत प्रदर्शित हो रहा है।	यदि सारा एप्प में प्लॉट्स के साथ खसरा क्रमांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो अपने वरिष्ट अधिकारी को अवगत करवाए, खसरा नंबर संशोधन हेतु सुविधा तहसील स्तर पर प्रदान की गयी है जो तहसीलदार (सहायक सर्वेक्षण अधिकारी) के लॉग इन पर उपलब्ध है।
36.	हार्ड कॉपी नक्शो पर प्रदर्शित होने वाले font का आकार बहुत छोटा या बडा, अपठनीय प्रदर्शित होना।	अपने वरिष्ट अधिकारी को अवगत करवाए एवं भारतीय सर्वेक्षण विभागं (SOI) में सम्पर्क करें।

37.	नक्शों पर प्रदर्शित होने वाले प्लॉट संख्या का छूट जाना या एक ही प्लॉट संख्या पुन: प्रदर्शित होना।	इस प्रकार कि त्रुटि आती है तो सर्वप्रथम SAARA apps में प्रदर्शित होने वाले नक्शे एवं प्राप्त हार्ड कॉपी नक्शा (प्रारुप या अंतिम) का मिलान करें। सम्भवत: SAARA apps में दिखने वाले नक्शे में प्लॉट नम्बरिंग की समस्या नहीं होगी, मिलान उपरांत त्रुटि पाये जाने पर अपने वरिष्ट अधिकारी को अवगत करवाए एव भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) में सम्पर्क करें।
38.	हार्ड कॉपी नक्शों के बायें भाग पर प्रदर्शित होने वाले जिले का नाम, तहसील के नाम, LGD code इत्यादि का गलत होना।	प्रारुप नक्शा प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन के उपरांत जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) को संशोधन हेतु भेजा जाये तब सुधार नक्शा पर टीप सुधार हेतु लिखकर भेजें।
39.	नक्शा की ग्राउंड ट्रूथिंग करते समय क्या ध्यान रखना है।	• ग्राउंड ट्रूथिंग हेतु ग्राम सीमा के चारों ओर के प्लाट का चयन किया जाना। • चयनित प्लॉट्स को टेप / फीते/ जरीब से नापकर प्रदाय प्रारूप नक़्शे से मिलान किया जाए। • ग्राम नक़्शे पर चयनित प्लाट का एरिया एवं आर.ओ.आर में प्रदाय एरिया का मिलान सटीकता के साथ किया जाना चाहिए।
40.	क्या किसी प्लॉट को एक से अधिक भागों में बांटा जा सकता है? यदि हॉं तो कब।	नक्शा प्राप्त होने के उपरांत संज्ञान में आता है कि प्राप्त प्लॉट में दो पृथक प्लॉट अंकित होना आवश्यक है, तो प्रकाशन के पूर्व जानकारी को अद्यतन किया जा सकता है यदपि आर.ओ.आर में विभाजन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक नक़्शे पर विभाजन नहीं किया जाता।
41.	SAARA app पर कुछ आबादी सर्वे संख्या का क्षेत्रफल मे भिन्न्ता आना।	भौतिक सत्यापन कि प्रक्रिया मे प्रारुप नक्शा पर अबादी के बाहरी सीमा (boundary) चिन्हित कर्ने से पहले राजस्व कि रकबा बाहरी (क्षेत्रफल कि जाच) करना सुनिश्चित करे । राजस्व अभिलेख मे दर्ज रकबा और बाहरी रकबा समान हो तो आबादी सीमा चिन्हित करे। सम्बंधित पट्वारी के द्वारा भौतिक सत्यापन ,आबादी सर्वे संख्या का क्षेत्रफल के अनुसार नही किया गया। अत: पुन:

		भौतिक सत्यापन कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग(SOI) को वापस किया जाना सुनिश्चित करे।
42.	निजी प्लॉट सख्या का आबादी मे प्रदर्शित होना एव आबादी के प्लॉट संख्या निजी मे प्रदर्शित होना।	सम्बंधित पट्वारी के द्वारा भौतिक सत्यापन के समय मे त्रुटि हुआ है । भौतिक सत्यापन कि प्रक्रिया मे निजी भुमि को प्रारुप नक्शा पर चिन्हित कर संशोधन हेतु भेजे एव आशय कि टीप को भी स्पष्ट लिखा कर भेजना सुनिश्चित करे । अत: पुन: सही तरीके से भौतिक सत्यापन कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) को वापस किया जाना सुनिश्चित करे।
43.	प्लाटो पर बटांकन का सही ना होना।	सम्बंधित पट्वारी के द्वारा भौतिक सत्यापन के समय प्लाटो पर बटांकन मे त्रुटि हुई है। भौतिक सत्यापन के उपरांत जो बटांकन चिन्हित किया जाय उनकी टीप स्पष्ट रूप से लिख कर भेजना सुनिश्चित करे। अधिकंशत: नक्शो पर बटांकन कर भेजा जाता है परन्तु बटांकन कि टीप लिख कर नही भेजी जाती है । अत: पुन: सही तरीके से भौतिक सत्यापन तथा बटांकन कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग(SOI) को वापस किया जाना सुनिश्चित करे।
44.	किये गये बटा नम्बर में भू-धारी की एन्ट्री कब की जा सकती है।	बटा नंबर अंकित करते ही सम्पति-धारी का नाम दर्ज किया जा सकता है।
45.	एक ही हितग्राही की सम्पत्ति दो भूखण्ड के रूप में नक्शा में प्रदर्शित हो रही है दोनों भूखण्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भूखण्ड में निर्मित सम्पत्ति है जबकि दूसरा भूखण्ड रिक्त है ऐसी स्थिति में क्या करें।	एक सम्पति-धारी की निर्माण एवं खुला प्लॉट साथ होने पर एक ही प्लॉट अनुसार जानकारी दर्ज की जा सकती है।
46.	प्लॉट के साथ भू-धारियों का समग्र की प्रविष्टि करने पर हितग्राही का डाटा प्रदर्शित (show) नहीं हो रहा है?	ऐसा संभवतः तीन स्थितियों में संभव हो सकता है: a) डाटा ठीक से डाउनलोड नहीं हुआ हो, अतः डाटा को फिर से डाउन लोड करें| b) समग्र में किये गए डाटा संशोधन के बाद डाटा डाउनलोड नहीं होना- इस स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों

		को इस बात कि सूचना दें तथा समग्र का डाटा ठीक करवाएं| c) समग्र आईडी सही होने की जानकारी समग्र पोर्टल से प्राप्त कर लें, यदि समग्र आईडी सही एवं एक्टिव है एवं एप पर जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो तकनीकी टीम को अवगत करावे।
47.	यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से है और समग्र ID उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है?	समग्र आईडी उपलब्ध न होने पर समग्र आईडी बनाया जाकर आगामी कार्यवाही की जा सकती है।

आर. ओ. आरएंट्री पूर्ण हो जाने के बाद के चरण में पूछे जाने वाले प्रश्न

क्र.	प्रश्न	उत्तर
48.	ग्राम के समस्त प्लॉटों के साथ एक-एक करके हितग्राहियों के नाम जोड़े जा चुके है अब क्या करें	सारा पोर्टल पर प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही करें।
49.	सारा में आबादी सर्वे सूची का ऑप्शन है यह क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है।	सारा में आबादी सर्वे के माध्यम से आप आबादी सर्वे के क्रियान्वयन का कार्य कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी हेतु आबादी सर्वे की प्रेजेंटेशन देखें|
50.	सारा पर प्रारूप प्रकाशन RCMS में पुश करने की कार्यवाही करने पर क्या प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं प्रारूप नक्शा अपने-आप संबंधित प्रकरण में पहुंच जावेगे या उनकी प्रिंट निकाल कर प्रकरण में लगाना होगी।	सारा से प्राप्त प्रारूप आर.सी.एम.एस पोर्टल में तहसीलदार के पीठासीन अधिकारी के लॉग इन में प्रदर्शित होगा| जहॉ से आर.ओ.आर. की जानकरी देखी जा सकती है साथ की उसके आधार पर इश्तिहार, प्रारूप-16 जनरेट किया जा सकता है।
51.	आर.ओ.आर की कार्यवाही करते समय प्लॉट के विभाजन या मर्ज करने की कार्यवाही की गयी थी क्या RoR Entry पूर्ण होने पर प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही की जा सकती है।	आर.ओ.आर एण्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करते समय यदि कुछ नंबरों को विभाजित या मर्ज किया गया है, तो नवीन संशोधित नक्शा प्राप्त होने के उपरांत री-नंबरिंग की कार्यवाही कर प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही की जा सकती है।
52.	प्रारूप अधिकार अभिलेख RCMS में प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही करना है?	तहसीलदार पीठासीन अधिकारी प्रारूप अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् प्रारूप देख पाएगा और इश्तिहार एक्टिविटी लगा पाएगा|

		इस हेतु उसे जिस दिन प्रारूप अभिलेख प्राप्त हुआ है उस दिन की वाद सूचि में जाकर इश्तिहार लगाना होगा|
53.	प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के लिए नियमों निर्धारित प्ररूप-पन्द्रह, सोलह एवं सत्रह को हाथ से तैयार कराना है या यह प्रपत्र ऑनलाइन RCMS में जनेरेट होगें तो कैसे और कहॉ?	प्रारूप पीठासीन अधिकारी के लॉगइन में वाद सूचि में जाकर जारी किया जा सकता है और प्रारूप सोलह एवं सत्रह भी ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है| इस हेतु रीडर लॉगइन प्रक्रियाधीन प्रकरण में जाकर एक्टिविटी चुन प्रारूप सोलह एवं सत्रह बनाया जा सकता है|
54.	क्या भौतिक रूप से प्राप्त दावा-आपत्ति को प्रकरण में ऑनलाइन जोडा जा सकता है? यदि हॉ तो कैसे।	इस हेतु पब्लिक पोर्टल पर इश्तिहार सुचना में जाकर जारी इश्तिहार देखा जा सकता है और उससे ऑनलाइन आपति भी दर्ज की जा सकती है|
55.	हितग्राही दावा-आपत्ति ऑनलाइन क्या दर्ज कर सकता है यदि हॉ तो कैसे?	हाँ| पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध आप्शन" इश्तिहार सूचना" के माध्यम से हितग्राही दावा-आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकता है |
56.	ऑनलाइन प्राप्त दावा आपत्ति सहायक सर्वेक्षण अधिकारी और उसका रीडर कैसे देख सकेंगे?	प्राप्त दावा आपत्ति रीडर लॉगइन में उपलब्ध आप्शन प्रकरण पर अन्य गतिविधियां-प्राप्त दावा आपत्ति पर देखी जा सकती हैं|
57.	प्राप्त दावा-आपत्तियों के सुनवायी के उपरान्त स्वीकृत होने पर उनका संशोधन डाटाबेस में कैसे करना है और कहां?	प्रथम प्रकाशन के उपरांत सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सारा पोर्टल के माध्यम से "एडिट RoR" ऑप्शन से डाटा का सुधार किया जा सकता है|
58.	क्या स्व-विवेक से भी कोई संशोधन किये जा सकते हैं?	नहीं।
59.	प्रारूप नक्शा में क्या कोई संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है?	प्रथम प्रकाशन के उपरांत सहायक सर्वेक्षण अधिकारी स्तर पर दावा आपत्ति के माध्यम से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त एवं स्वीकार किया जा सकता है|
60.	स्वीकृत दावा-आपत्ति एवं स्व-विवेक से किये गये संशोधन डाटाबेस में सही प्रकार से कर दिये गये हैं यह कैसे सुनिश्चित होगा।	सारा पोर्टल से संशोधन सूची डाउनलोड कर सुनिश्चित करलें कि दावा आपत्ति उपरांत सभी संशोधन सूची में समाहित हैं|
61.	संशोधन उपरान्त अंतिम अधिकार अभिलेख कहां देखा जा सकता है।	संशोधन उपरान्त अंतिम अधिकार अभिलेख कलेक्टर के पीठासीन/रीडर लॉगइन में देखा जा सकता हैं|

62.	अधिकार अभिलेख को पूर्णता प्रदान करने के पश्चात् सहायक सर्वेक्षण अधिकारी को क्या करना है	आगे की कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में भेजना होगा, इस हेतु तहसीलदार के पीठासीन अधिकारी के लॉगइन पर उपलब्ध आप्शन आबादी सर्वे प्राप्त प्रतिवेदन का उपयोग करें|
63.	जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रतिवेदन भेजने के लिए RCMS में क्या और कहां कार्यवाही करना होगी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा भी तैयार की गयी है।	तहसीलदार के पीठासीन अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध आप्शन प्राप्त प्रतिवेदन आबादी सर्वे के माध्यम से हस्तांतरित किए जा सकते हैं|
64.	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण जिला सर्वेक्षण अधिकारी को कहां पर दिखाई देगा और अंतिम आदेश किस प्रकार से किया जावेगा?	कलेक्टर के रीडर लॉगइन में उपलब्ध आप्शन जाँच प्रतिवेदन आबादी सर्वे में देखा जा सकता है और वह उपलब्ध आप्शन आदेश करें के माध्यम से आदेशित किया जा सकता है|
65.	अंतिम आदेश के साथ और कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक हैं और उन्हे कैसे अपलोड करे?	अंतिम आदेश करतें समय Signed आर.ओ.आर अपलोड करना अवश्यक है इस हेतु अपलोड आप्शन उपलब्ध है| ज्ञात हो की अपलोड करने वाली फाइल का साइज़ 2MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फाइल पी.डी.एफ. फॉर्मेट में होना चाहिए|
66.	अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद हितग्राहियों को नियमानुसार अधिकार अभिलेख की प्रति नि:शुल्क वितरित की जाना होती है। यह कार्यवाही किस प्रकार की जावेगी?	आर.सी.एम.एस से जारी अंतिम प्रकरण (अंतिम आदेश) पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है इस हेतु पब्लिक पोर्टल पर "आदेश डाउनलोड" आप्शन उपलब्ध है वहॉ से आदेश की प्रति डाउनलोड की जा सकती है| साथ ही What's app के माध्यम से आदेश डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतू 9407299468 पर "Hi" लिख कर भेजे और उपलब्ध आप्शन का चयन कर आदेश डाउनलोड करें|
67.	क्या अंतिम आदेश किये जाने के बाद भी काई कार्यवाही जिला स्तर पर की जाना है।	नहीं| आदेश करते ही प्रकरण सारा एप्प पर आगे की कार्यवाही के लिए स्वत: ही पुश हो जाता है|

सर्वे ऑफ़ इंडिया से भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले नक्शों में किये जाने वाले संशोधनों को अंकित करने का तरीका:-

ग्राम LGD कोड (................) ग्राम का नाम (...............) शीट क्रमांक (...............) तहसील (...............) जिला (...............)			
प्लाट क्रमांक	संशोधन का प्रकार	उपयोग किया जाने वाला कलर	टीप (कमेंट)
-	आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा मार्क करना	ब्लैक पेन	काली लाईन से खिची गयी लाइन को आबादी की बाहरी सीमा निर्धारित किया जाए|
18	प्लाट को यथावत रखने हेतु	-	प्लाट यथावत रखा जाए|
18	एक प्लाट दो या अधिक भाग में विभाजित करना (दोनों भाग को रखना)	पेन्सिल द्वारा खिची गयी लाईन	इस प्लाट को मार्क की गयी लाइन से दो भागों 18/1 एवं 18/2 में विभाजित किया जाए|
18	एक प्लाट दो या अधिक भाग में विभाजित करना (एक भाग को हटाना)	ब्लैक पेन से खिची गयी लाईन	इस प्लाट को मार्क की गयी लाइन से दो भागों 18/1 एवं 18/2 में विभाजित किया जाए एवं 18/2 आबादी क्षेत्र में नहीं आता तो इसे हटा दिया जाए|
18	प्लाट को हटाना	ब्लैक पेन से खिची गयी लाईन	यह प्लाट आबादी क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए हटा दिया जाए|
18	प्लाट को दुसरे प्लाट के साथ मर्ज करना	पेन्सिल द्वारा खिची गयी दो रेखा (//)	प्लाट नंबर 18 एवं 19 को मर्ज कर एक प्लाट बनाया जाए|

18	प्लाट की आकृति में बदलाव	ब्लैक पेन से अथवा पेन्सिल से खिची गयी लाइन	प्लाट नंबर 18 को पेन्सिल से बनी लाइन अनुसार प्लाट संख्या 12,13,20 के कुछ एरिया ले कर नयी आकृति के रूप में बनाया जाए
P1	नए प्लाट का सृजन	पेन्सिल द्वारा खिची गयी लाईन	प्लाट नंबर 10 के पास पेन्सिल लाईन से मार्क कर नया प्लाट बनाया जाना है जिसकी जिसकी उत्तरी सीमा प्लाट क्र.12 , पश्चिमी सीमा प्लाट क्र.14, पूर्वी सीमा सीमा प्लाट क्र.21 एवं दक्षिणी सीमा प्लाट क्र.16 से निर्धारित होगी
18,19,20	प्लाट की सीमा को मार्क की गयी आबादी की आउटर सीमा अनुसार घटना या बढ़ाना	ब्लैक पेन से खिची गयी लाईन	प्लाट क्रमांक 18,19,20 का कुछ हिस्सा आबादी सीमा से बाहर अंकित किया गया है अतः मार्क की गयी ग्राम आबादी सीमा अनुसार उसे संशोधित किया जाए
18,25	रास्ता मार्क करना	ब्लैक पेन	प्लाट क्रमांक 18,25 के मध्य पेन द्वारा मार्क रास्ता प्रदान किया जाए